प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर
दिनांक 26.11.2025

इन्टेलिजेन्स विंग व थाना असोथर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शातिर लुटेरा इनामिंया/वांछित अभियुक्त ग्राम कौण्डर के पास पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूट की एक नाक की नथ (सोने की), 01 अदद तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.11.2025 को थाना असोथर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुण्डेरी के पास 70 वर्षीय महिला के साथ हुई लूट की घटना के संबंध में थाना असोथर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 236/25, धारा- 309(04) बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही व प्रभावी पतारसी सुरागरसी से दो अभियुक्त प्रकाश में आये, जिसमें एक अभियुक्त आलिम पुत्र कासिम को दिनांक 24.11.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, तथा मुख्य अभियुक्त गुलाम पुत्र हुकुम अली निवासी नगरा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर हाल पता ससुराल ग्राम खन्तवा थाना खखरेरू फतेहपुर उम्र 22 वर्ष की शीघ्र गिफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दस हजार रुपये का नगद पुरुस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 26.11.2025 को इन्टेलिजेन्स विंग व थाना असोथर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना असोथऱ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2025 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित इनामिंया/वांछित अभियुक्त गुलाम पुत्र हुकुम अली निवासी नगरा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर हाल पता ससुराल ग्राम खन्तवा थाना खखरेरू फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर ग्राम कौंण्डर मोड़ विजयीपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग की जा रही थी कि थरियांव मोड़ की तरफ से एक व्यक्ति दो पहिया वाहन से आता दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो तेजी से वाहन ग्राम कौंडरपुर की तरफ मोड़कर भागा कि कुछ ही दूरी पर अनियंत्रित होकर गिर गया कि खुद को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य कर फायर करने लगा आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त गुलाम पुत्र हुकुम अली के बाये पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त गुलाम उपरोक्त जनपद के थाना असोथर के मु0अ0सं0 236/2025 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर लूट की एक नाक की नथ (सोने की)बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)की बढोत्तरी की गयी है।

वर्तमान में की गयी कृत कार्यवाही की विवरण- उपरोक्त प्रकरण में थाना असोथर पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से अपराध व अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

गुलाम पुत्र हुकुम अली निवासी नगरा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर हाल पता ससुराल ग्राम खन्तवा थाना खखरेरू फतेहपुर उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1-एक नाक की नथ (सोने की)

2- एक अदद तमंचा 315 बोर

3- एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

4- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 348/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 383/2025 धारा 304(2)/317(2)/61(2)(A) बीएनएस थाना खागा फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 236/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना असोथर जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 238/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम असोथर फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

A- टीम थाना असोथर

1. थानाध्यक्ष श्री अभिलाष तिवारी थाना असोथर जनपद फतेहपुर
2. वरि0 उ0नि0 सुनील कुमार यादव
3. उ0नि0 अविनाश यादव
4. उ0नि0 सूर्यनाथ
5. उ0नि0 रामआशीष यादव
6. हे0का0 सुखवीर सिंह
7. आरक्षी बीकेश कुमार
8. आरक्षी सतेन्द्र कुमार
9. आरक्षी राजकुमार चौहान

B- टीम

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी इन्टेलीजेन्स विंग
2. हे0का0 पंकज दुबे
3. हे0का0 मनोज कुमार मौर्या
4. का0 प्रमोद गौतम
5. का0 हरिश देशवार
6. का0 पवन चौधरी
7. का0 राम सिंह पटेल
8. का0 जय प्रकाश

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 10,000/- रूपये के नगद पुरूस्कार की घोषणा की गई है।

मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर